न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 39 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 62)

| वादीगण | बनाम प्रतिवादी |
|---|---|
| 1. गुडो उर्फ सरजीत कौर पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्री वरयाम सिंह जाति बावरी निवासी हाथियावाली तहसील सादुलशहर।<br>2. सीतो उर्फ सुरजीत कौर पत्नी जगिन्द्र सिंह पुत्री वरयाम सिंह निवासी 5 पी बडी कोनी तहसील श्रीगंगानगर। | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण — तारीख रजू:– 01.05.2023

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 17.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 127/123 के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 5.868 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम से संयुक्त खाता में भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादी संख्या 1 का नाम गुडो पुत्री वरयाम सिंह व वादी संख्या 2 का नाम सीतो पुत्री वरयाम सिंह दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण को अपने पिता वरयाम सिंह से जरिए विरास्तन प्राप्त हुई है। वादीगण का पीहर पक्ष में नाम गुडो व सीतो है। ससुराल पक्ष में दोनो का नाम सरजीत कौर है। वादीगण के पिता वरयाम सिंह के देहान्त के पश्चात वादीगण के भाईयों ने वादीगण के पीहर में रखे गये नाम गुडो व सीतो वारिसनामा में दर्ज करवा दिये। राजस्व अभिलेख में वादीगण का गडो पुत्री वरयाम सिंह व सीतो पुत्री वरयाम सिंह नाम अंकित होने के कारण हर समय भारी असुविधाओं का सामना करना पडता है। वादीगण उक्त खाता में अपने नाम गुडो उर्फ सरजीत कौर व सीतो उर्फ सरजीत कौर दर्ज करवाना चाहते है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादिया को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहे है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 127/123 के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 5.868 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम गुड्डो के स्थान पर गुड्डो उर्फ सरजीत कौर व क्रम संख्या 12 पर अंकित नाम सीतो के स्थान पर सीतो उर्फ सरजीत कौर दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 1935 दिनांक 07.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 10 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 127/123 के मुरब्बा नम्बर 21 में गुड्डो पुत्री वरयाम सिंह हिस्सा 1/12 जाति बावरी साकिन देह व सीतो पुत्री वरयाम सिंह हिस्सा 1/12 जाति बावरी साकिन देह दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्दमौका बनाया गया, जिसमें उपस्थितजनो ने बताया कि गुडो उर्फ सरजीत कौर व सीतो उर्फ सरजीत कौर के नाम शादी से पूर्व गुडो व सीतो थे, शादी के बाद गुडो का नाम सरजीत कौर व सीतो का नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सरजीत कौर ससुराल पक्ष में रख दिए गए है। गुडो उर्फ सरजीत कौर एक ही व्यक्ति के दो नाम है तथा सीतो उर्फ सरजीत कौर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। उक्त खातो के सहखातेदार बलवीरो व प्रीतम कौर के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर शपथ सहमति पत्र पेश किए। शामिल मिसल किए गए।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 127/123 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 6 वीं धनूर तस्दीक प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 127/123 के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 5.868 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम गुड्डो के स्थान पर गुड्डो उर्फ सरजीत कौर व क्रम संख्या 12 पर अंकित नाम सीतो के स्थान पर सीतो उर्फ सरजीत कौर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम सरजीत कौर दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक चक 10 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 127/123 के मुरब्बा नम्बर 21 में गुड्डो पुत्री वरयाम सिंह हिस्सा 1/12 जाति बावरी साकिन देह व सीतो पुत्री वरयाम सिंह हिस्सा 1/12 जाति बावरी साकिन देह दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्दमौका बनाया गया, जिसमें उपस्थितजनो ने बताया कि गुडो उर्फ सरजीत कौर व सीतो उर्फ सरजीत कौर के नाम शादी से पूर्व गुडो व सीतो थे, शादी के बाद गुडो का नाम सरजीत कौर व सीतो का नाम सरजीत कौर ससुराल पक्ष में रख दिए गए है। गुडो उर्फ सरजीत कौर एक ही व्यक्ति के दो नाम है तथा सीतो उर्फ सरजीत कौर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, बलवीरो व प्रीतम कौर के शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

**-:आदेश:-**

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 127/123 के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 5.868 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम गुड्डो पुत्री वरयाम सिंह के स्थान पर गुड्डो उर्फ सरजीत कौर पुत्री वरयाम सिंह व क्रम संख्या 12 पर अंकित नाम सीतो पुत्री वरयाम सिंह के स्थान पर सीतो उर्फ सरजीत कौर पुत्री वरयाम सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर**

**ब इजलास श्री श्योराम** (आर.ए.एस.)

गुडो उर्फ सरजीत कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 39/2024

**निर्णय दिनांक :- 17.05.2024**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी **अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 127/123 के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 5.868 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम गुड्डो पुत्री वरयाम सिंह के स्थान पर गुड्डो उर्फ सरजीत कौर पुत्री वरयाम सिंह व क्रम संख्या 12 पर अंकित नाम सीतो पुत्री वरयाम सिंह के स्थान पर सीतो उर्फ सरजीत कौर पुत्री वरयाम सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 17.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

| मुददई | रुपया | पैसा | मुदायली | रुपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 00 | 00 |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | 00 |
| **योग** | **04** | **00** | **योग** | **00** | **00** |

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 17.05.2024

क्रमांक: रीडर/2024/203

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर